



## न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन)

COURT OF STATE COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

समाज कल्याण विभाग/Social Welfare Department

बिहार सरकार/Government of Bihar

पत्रांक-स0स0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 - 36/आ0 ति0को0

दिनांक-12 जनवरी 19

प्रेषक,

राज्य आयुक्त निःशक्तता,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

असैनिक शल्य चिकित्सा  
-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना।

विषय :-

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन के तहत जिला पदाधिकारी एवं विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक एवं दिव्यांगजनों के विभिन्न शिकायतों की सुनवाई के लिए चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) के आयोजन के सम्बन्ध में।

प्रसंग :-

जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, समाहरणालय, पटना का पत्रांक-XXXX-01/2018-03/दि0स0को0 दि0-11.01.2019 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-930/आ0नि0को0 दि0-13.12.2018

महाशय,

कृपया उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में जिला अधिकारी, पटना द्वारा प्रेषित जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, समाहरणालय, पटना का पत्रांक-XXXX-01/2018-03/दि0स0को0 दि0-11.01.2019 का संदर्भ लेने की कृपा करें, जिसके अन्तर्गत इस कार्यालय का पत्रांक-930/आ0नि0को0 दि0-13.12.2018 के आलोक में दिनांक-15.01.2019 से 19.01.2019 तक पटना जिले में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन के तहत जिला पदाधिकारी एवं विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक एवं दिव्यांगजनों के विभिन्न शिकायतों की सुनवाई के लिए चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) के आयोजन के सम्बन्ध में कार्यक्रम निर्धारित कर तत्त्वर्णित कार्यक्रमानुसार आवश्यक बैठक में भाग लेते हुए चलन्त न्यायालय के सफल संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय का पत्रांक-930/आ0नि0को0 दि0-13.12.2018 के अन्तर्गत अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों एवं सदर अस्पताल का निरीक्षण तथा पदाधिकारियों के साथ बैठक का कार्यक्रम आयोजित करने का भी निदेश था। जिले में विविध अन्य कार्यक्रमों के आयोजनों की वर्तमान परिस्थितियों के आकलन अनुसार सूचित है कि उक्त बैठक दिनांक-16.01.2019 को अपराह्न 3:00 बजे से 4:00 बजे तक सी0आर0सी0 शेखपुरा, पटना निर्धारित की गई है।

अतः अनुरोध है कि प्राथमिकता चिकित्सा केन्द्रों के प्रभारी पदाधिकारियों, अस्पतालों में दिव्यांगजनों के मामले के प्रभारी चिकित्सकों तथा सदर अस्पताल के पदाधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित निम्न प्रतिवेदन के साथ उक्त बैठक में भाग लेने हेतु निदेशित करने की कृपा करें।

(क) विकलांगता प्रमाण-पत्र (21 प्रकार की दिव्यांगता) प्रगति- लाभान्वितों की तीन वर्षों की सूची उपलब्ध कराये।

(ख) UDID Cards निर्गमन सम्बन्धी प्रतिवेदन।

(ग) जिले में दिव्यांगजनों के प्रमाणीकरण कार्य हेतु आयोजित कैंम्पों से सम्बन्धित विस्तृत विवरण यथा : निर्गत प्रमाण-पत्रों की संख्या इत्यादि।

(घ) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-10, 25, 57, 58 व 59 एवं अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनन्य सुसंगत प्रावधानों से सम्बन्धित अनुपालन प्रतिवेदन।

(सी0आर0सी0 शेखपुरा, पटना की अवस्थिति इस प्रकार है - सी0आर0सी0 शेखपुरा (पुराना धर्मशाला), आई0जी0आई0एम0एस0 नर्सिंग कॉलेज के बगल में, शेखपुरा मोड़, पिलर संख्या-91 से उत्तर दिशा, बेली रोड, पटना-14)

विश्वासभाजन


राज्य आयुक्त निःशक्तता,  
बिहार, पटना।

(2)

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 - 36/आ0 नि०को०

दिनांक-12 जनवरी 19

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


  
12.01.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,  
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 - 36/आ0 नि०को०

दिनांक-12 जनवरी 19

प्रतिलिपि:- सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


  
12.01.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,  
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 - 36/आ0 नि०को०

दिनांक-12 जनवरी 19

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

  
12.01.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,  
बिहार, पटना।